निर्णय वइजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :–69/11
दायरा दिनांक :–20.05.2011
निर्णय दिनांक :– 31.10.22

.उनवान

हरिप्रसाद पुत्र पृथ्वीराज जाति गोस्वामी निवासीगण बडां नाबालिग बविलायत माता सुशीला बाई पत्नी पृथ्वीराज जाति गुसाईं निवासीगण बडां तहसील बारां जिला बारां राज0

–वादीगण

बनाम

1. पृथ्वीराज पुत्र श्री रामकरण जाति गोस्वामी निवासीगण बडां तहसील बारां जिला बारां
2. सुगना बाई पुत्री रामकरण पत्नी किशनगोपाल जाति गोस्वामी निवासी बोरीना तहसीन बारां
3. ग्यारसीबाई बेवा रामकरण जाति गोस्वामी निवासी बडां हाल निवासी बोरीना तहसील बारां
4. योगेन्द्र कुमार पुत्र लालचन्द नाबालिग बविलायत पिता खुद लालचन्द जाति तेली निवासीगण बडां तहसील बारां जिला बारां राज0
5. राजेन्द्र कुमार पुत्र जुगलकिशोर नाबालिग जरिये बविलायत माता सीताबाई पत्नी जुगलकिशोर जाति तेली निवासी बडां तहसील बारां जिला बारां
6. जगदीश पुत्र अर्जुन लाल जाति तेली निवासीगण बडां तहसील बारां जिला बारां राज0
7. लीलाबाई पत्नी जुगलकिशोर जाति तेली निवासीगण बडां तहसील बारां जिला बारां राज0
8. द्रोपदी बाई पत्नी लालचन्द जाति तेली निवासीगण बडां तहसील बारां जिला बारां राज0
9. कोशल्या बाई पत्नी जगदीश जाति गुसाईनिवासीगण बडां तहसील बारां जिला बारां राज0
10. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां जिला बारां राज0 –प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,90,91,92,53, एवं188 आर0टी0एक्ट

निर्णय दिनांक :– 31.10.22

अभिभाषक उपस्थित :–1. श्रीबाबूलाल एड0– वादीगण

2. श्री खलीलाल गौरी एड0– प्रतिवादीगण

अभिभाषक वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88,89,90,91,92,53, एवं 188 आर0टी0एक्ट विरूद्ध प्रतिवादी गण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया किवादी हरिप्रकाश नाबालिग है। तथा अपनी माता सुशीलाबाई की परवरिश में रहकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.21 10:26:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

परवरिश पा रहा है। तथा एक दूसरे के विपरित नहीं है। अतः सुशीला बाई ही नाबालिग हरिप्रसाद की नेक्स फ्रुण्ड है। इस कारण आदेश 32 सी0पी0सी0 का आवेदन पेश कर नाबालिग का वली बनाने की स्वीकृति हेतू प्राप्त कर ली गयी है। ग्राम बडां तहसील बारां जिला बारां में खसरा नं0 80 रकबा 9.84 हे0 भूमि स्थायी है। जिसमें से 1/2 हिस्सा ही विवादित है। यह 1/2 हिस्सा सं0 65 से 68 की जमाबन्दी में रामकरण पुरी पुत्र औकार पुरी जाति गुसाई का था यही विवादित है। तथा इसी में से 1/4 हिस्सा प्राप्त करने के लिए यह वाद पेश किया जा रहा है। रामकरण पुरी का अभी 2011 में देहान्त हो गया है। तथा रामकरण पुरी के एक मात्र पुत्र पृथ्वीराज व एक पुत्री सुगनाबाई प्रतिवादी कम 2 तथा बेवा ग्यारसीबाई प्रतिवादी कम 3 है। वादी, प्रतिवादी कम 1 का पुत्र है जो नाबालिग है तथा जिसको प्रतिवादी कम 1 ने अपनी माता के साथ अलग कर रखा हैं इसी कारण माता व पुत्र अलग रहकर अपना जीवन यापन कर रहे है। वादग्रस्त भूमि वादी की पुश्तैनी भुमियां है जो पृथ्वीराज को अपने पिता रामकरण पुरी से विरासत में मिली है। इस कारण रामकरण पुरी के 1/2 हिस्से में वादी का 1/4 हिस्सा बनता है। जो जब वादी को अपने पिता प्रथ्वीराज ने अलग किया तब अलग काश्त करने के लिए दे दिया था तथा उस 1/4 हिस्से पर वादी अपनी माता के सहयोग से काश्त करवाता है। तथा काबिज चला आ रहा है।

रामकरण पुरी के अभी वर्ष 2011 में फोत होने पर इन्तकाल नं0 1144 दिनांक 09.05.2011 से रामकरण पुरी के स्थान पर प्रतिवादी कम 1 ता 3 का नाम दर्ज कर दिया है। तथा वादी को अपने हिस्से से वंचित कर दिया है। जबकि वादी का भी वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी कम 1 ता 3 के साथ बराबर से नाम आना चाहिए था जो राजस्व कर्मचारियों ने दर्ज नहीं किया तथा अब प्रतिवादी कम 1 ता 3 अपने गलत नाम दर्ज होने का फायदा उठाकर समस्त भूमियों को बेचान व रहन करने पर आमादा है जिसका उनको कोई अधिकार हासिल नहीं है। वादी रामकरण पुरी के 1/2 हिस्से में से 1/4 हिस्से पर अपना नाम दर्ज करा पाने का अधिकारी एवं नालिशी है। किन्तु प्रतिवादी कम 10 ने वादी का नाम दर्ज नहीं किया तथा मनमाने तरीके से प्रतिवादी कम 1 ता 3 का नाम दर्ज कर दिया। प्रतिवादी कम 4 ता 9 सहखातेदार होने के कारण उनको इस वाद में पक्षकार बनाया गया है। जो एक पर फार्मा प्रतिवादी है। दिनांक 11.05.2011 को प्रतिवादी वादग्रस्त भूमियों पर आ गये तथा जिस हिस्से को वादी काश्त कर रहा है। उस हिस्से को जबरन काश्त करने की धमकी दी व एलानियां कहा कि हम समस्त भूमियों को बेचान व रहन करेंगे जबकि प्रतिवादी को ऐसा कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं है। अतएव वादी खिलाफ प्रतिवादीगण स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवा पाने का अधिकारी एवं नालिशी है। वादी ने दि. 15.05.2011 को प्रतिवादी कम 10 के विधिक प्रतिनिधि जिला कलक्टर बारां को नोटिस भी दिया है। जिसकी मियाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.21 10:26:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बाराँ

Scanned with CamScanner

भी समाप्त नहीं हुयी है। किन्तु इस प्रकरण में राज्य सरकार आवश्यक पक्षकार होने के कारण मियाद नोटिस समाप्त होने तक इन्तकाल करना संभव नहीं है। अतएव धारा 80(2) जा0दी0 का प्रार्थना पत्र पेश करके वाद पेश करने की अनुमति ले ली गयी है। वाद कारण दिनांक 09.05.2011 को प्रतिवादीगण का नाम इन्तकाल दर्ज करने मीज दिनांक 11.05.2011 को धमकी देने पर बमुकाम बडां तहसील बारां उत्पन्न हुआ।

वादी का वाद दर्ज रजि0 कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी की ओर से जवाब पेश नहीं होने के कारण उनका जवाब दिनांक 25.09.2018 को बन्द किया गया वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम बडा सम्वत् 2065–68 पेश की गई। साक्ष्य वादी में pw1 सुशीला बाई के बयान कराये गये।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई। बहस के दोरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। विवादित आराजी वाके ग्राम बडा में स्थित है। जिसमें 1/2 हिस्सा विवादित है। सम्वत् 2065–68 की जमाबन्दी में रामकरण पुरी पुत्र औंकार पुरी जाति गुसाई का 1/2 हिस्सा था रामकरण पुरी का देहान्त वर्ष 2011 में हो गया है। रामकरण पुरी के एक पुत्र व एक पुत्री तथा बेवा है। वादी प्रतिवादी कम 1 का पुत्र है। जो नाबा0 है जिसको प्रतिवादी कम 1 ने अपनी माता के साथ अलग कर रखा है विवादित भूमि वादी की पुश्तैनी भूमियां है पृथ्वीराज को अपने पिता से विरासत में मिली है। वादी का 1/2 हिस्सा में से 1/4 हिस्सा बनता है। जिस पर वादी अपनी माता के सहयोग से काश्त करता चला आ रहा है। रामकरण के फोत होने के वाद फोती नामा0 1144 दिनांक 09.05.2011 से रामकरण पुत्री के स्थान पर प्रतिवादी कम 1 ता 3 का नाम दज्र कर दिया है तथा वादी को अपने हिस्से से वंचित कर दिया वादी अपना हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी है वादी का वाद स्वीकार किया जावे। तथा वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जावे।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम बडां सम्वत् 2065–68 खाता सं0 456 के अनुसार रामकरण पुरी पुत्र औंकार पुरी का हिस्सा 1/2 जाति गुसाई के नाम खातेदारी में दर्ज है रामकरण पुरी की मृत्यु के वाद नामा0 सं0 1144 दिनांक 09.05.2011 से रामकरण पुरी के स्थान पर पृथ्वीराज, सुगनाबाई आ. रामकरण पुरी, ग्यारसीबाई बेवा रामकरण पुरी का नाम दर्ज हुआ। इससे यह साबित होता है कि विवादित आराजी पैतृक आराजी है। वादी पैतृक आराजी में अपना हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है। क्योंकि प्रतिवादी कम 1 को विवादित आराजी अपने पिता रामकरण पुरी से विरासत में प्राप्त हुई थी। जिसमें वादी अपना हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है। वादी का वाद स्वीकार होने के कारण स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.21 10:26:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

कियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम बडां तहसील बारां के खसरा नं0 80 रकबा 9.84 हे0 में वादी को उसके हिस्से तक खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तदनुरूप डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी बारां

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.21 10:26:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां (राज0)

डिक्री

वाद संख्या 69/2011	अन्तर्गत 88,89,90,91,92,53,188 आर टी एक्ट	निर्णय दिनांकः– 31.10.22
समक्ष : श्री दिवांशु शर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां		
उपस्थिति :अभिभाषकवादीः–श्री बाबूलाल जैन		अभिभाषक प्रतिवादीः–श्री खलील गौरी एड0

वाद शीर्षक

उनवान

हरिप्रसाद पुत्र पृथ्वीराज जाति गोस्वामी निवासीगण बडां नाबालिग बविलायत माता सुशीला बाई पत्नी पृथ्वीराज जाति गुसाई निवासीगण बडां तहसील बारां जिला बारां राज0

–वादीगण

बनाम

1. पृथ्वीराज पुत्र श्री रामकरण जाति गोस्वामी निवासीगण बडां तहसील बारां जिला बारां
2. सुगना बाई पुत्री रामकरण पत्नी किशनगोपाल जाति गोस्वामी निवासी बोरीना तहसीन बारां
3. ग्यारसीबाई बेवा रामकरण जाति गोस्वामी निवासी बडां हाल निवासी बोरीना तहसील बारां
4. योगेन्द्र कुमार पुत्र लालचन्द नाबालिग बविलायत पिता खुद लालचन्द जाति तेली निवासीगण बडां तहसील बारां जिला बारां राज0
5. राजेन्द्र कुमार पुत्र जुगलकिशोर नाबालिग जरिये बविलायत माता सीताबाई पत्नी जुगलकिशोर जाति तेली निवासी बडां तहसील बारां जिला बारां
6. जगदीश पुत्र अर्जुन लाल जाति तेली निवासीगण बडां तहसील बारां जिला बारां राज0
7. लीलाबाई पत्नी जुगलकिशोर जाति तेली निवासीगण बडां तहसील बारां जिला बारां राज0
8. द्रोपदी बाई पत्नी लालचन्द जाति तेली निवासीगण बडां तहसील बारां जिला बारां राज0
9. कोशल्या बाई पत्नी जगदीश जाति गुसाईनिवासीगण बडां तहसील बारां जिला बारां राज0
10. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां जिला बारां राज0 –प्रतिवादीगण

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेषित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम बडां तहसील बारां के खसरा नं0 80 रकबा 9.84 हे0 में वादी को उसके हिस्से तक खातेदार कृषक घोषित किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेष मेरें हस्ताक्षर एंव न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 31.10.22 को निर्गत किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.21 10:26:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,
बारां जिला–बारां

		व्ययानुतोष	
क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वदपत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषकपत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थनापत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिकअभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीसकमिश्नर		

Scanned with CamScanner